राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

कमांक :प.11(12) गृह-10/2016 जयपुर, दिनांक 16/6/2017

<u>परामर्शदात्री पत्र</u>

यत: यह राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि औद्योगिक दुर्घटनाओं में उद्यमी के खिलाफ नेमी रुप से (routinely) धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता में प्रकरण दर्ज कर लिये जाते है, इससे राज्य के उद्यमियों में निराशा फैलती है, जो राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सही संकेत नहीं है।

अतः राज्य सरकार यह परामर्श देती है कि औद्योगिक दुर्घटनाओं में उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किसी कृत्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की अवस्था में, ऐसे प्रकरण में प्रथमतः धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जाना चाहिए तत्पश्चात् अनुसंधान में पाये जानेवाले साक्ष्य के अनुरुप अन्य धाराऐं जोड़ी जाए, ऐसे प्रकरणों में नेमी रुप से (routinely) धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता में प्रकण दर्ज नहीं किये जाये।

आज्ञा से,

(दीपक उप्रेती) 16/6.
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध राजस्थान।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर राजस्थान।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान।
5. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी